



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122024-259160
CG-DL-E-04122024-259160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2024/अग्रहायण 13, 1946

No. 687]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024/ AGRAHAYANA 13, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2024

सं. 26/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 749(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'टेक्सचरड टेम्पर्ड कोटेड एंड उन्काटेड गिलास', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों में संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर, दिनांक 5 नवंबर, 2024, जिसे दिनांक 5 नवंबर, 2024, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम रूप से निष्कर्ष दिया है कि—

(क) विचारार्थ उत्पाद विषयगत देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ख) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात में निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति विषयगत देशों से डंप किए गए आयातों के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7007 19 00	टेक्सचरड टेम्पर्ड कोटेड एंड उन्काटेड गिलास	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शांक्सी टोपराय सोलर कंपनी लिमिटेड	677	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	अन्हुई फ्लैट सोलर गिलास कंपनी लिमिटेड और फ्लैट गिलास ग्रुप कंपनी लिमिटेड	677	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	अन्हुई सीइसजी न्यू एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	677	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	डोंगगुआन सीइसजी सोलर गिलास कंपनी लिमिटेड	673	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	वुजिआंग सीइसजी गिलास कंपनी लिमिटेड	677	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	गुआंग्सी सिन्यी फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड / सिन्यी पी वी प्रोडक्ट्स (अन्हुई) होल्डिंग्स लिमिटेड / सिन्यी सोलर (सुज़होउ) लिमिटेड	673	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

7.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	ज़हानगज़हौ कॉबिंग फोटोवोल्टाइक न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड / हुनान कॉबिंग सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड / निंगबो कॉबिंग फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	674	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	पर उल्लिखित सीरियल नंबर 1 से 7 के अलावा कोई भी उत्पादक	677	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	वही	वही	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	677	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम	फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	565	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	पर उल्लिखित सीरियल नंबर 10 के अलावा कोई भी उत्पादक	565	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	वही	वही	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी उत्पादक	565	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह: माह की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपादन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/182/2024-टीआरयू]

अमरीता टाइम्स, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2024

No. 26/2024-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 749(E).—Whereas, in the matter of “Textured Tempered Coated and Uncoated Glass” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff headings 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* Notification No. 6/29/2023-DGTR, dated the 5th November, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th November, 2024, has provisionally concluded that-

- a) the subject goods that have been exported to India from the subject countries are at dumped prices;
- b) there is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in both absolute terms and in relation to production and consumption;
- c) the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	70071900	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass	China PR	China PR	Shaanxi Topray Solar Co., Ltd	677	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	China PR	Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd & Flat Glass Group Co., Ltd	677	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	China PR	Anhui CSG New Energy Material Technology Co., Ltd	677	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	China PR	Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd	673	MT	USD

5	-do-	-do-	China PR	China PR	Wujiang CSG Glass Co., Ltd	677	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	China PR	Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd. / Xinyi Solar (Suzhou) Ltd	673	MT	USD
7	-do-	-do-	China PR	China PR	Zhangzhou Kibing Photovoltaic New Energy Technology Co., Ltd / Hunan Kibing Solar Technology Co., Ltd. / Ningbo Kibing Photovoltaic Technology Co., Ltd.	674	MT	USD
8	-do-	-do-	China PR	All countries, including China PR	Any Producer other than those mentioned in serial number 1 to 7	677	MT	USD
9	-do-	-do-	All countries other than China PR and Vietnam	China PR	Any	677	MT	USD
10	-do-	-do-	Vietnam	Vietnam	Flat (Vietnam) Co., Ltd	565	MT	USD
11	-do-	-do-	Vietnam	All countries including Vietnam	Any Producer other than those mentioned in serial number 10	565	MT	USD
12	-do-	-do-	All countries other than Vietnam and China PR	Vietnam	Any	565	MT	USD

The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.-For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/182/2024-TRU]
AMREETA TITUS, Dy. Secy.